(122)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 602–तीन/2014 पुनरावलोकन – विरूद्व आदेश दिनांक 06–01–2013– पारित व्दारा – तत्का0सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 36–चार/2009 निगरानी

गणेश सिंह पुत्र स्व.कामता सिंह
मौजा उपरहटी तहसील हुजूर
जिला रीवा , मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

(1) म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर रीवा
(2) विष्णुकुमार शुक्ला एडव्होकेट मृतक वारिस
1. सुश्री ज्योतिस्ना
2. सुश्री साधना
3. सुश्री आराधना तीनों पुत्रियां स्व. विष्णुकुमार
4. प्रभाकर
5. दिवाकर पुत्रगण स्व. विष्णुकुमार शुक्ला

सभी निवासी मौजा उपरहटी तहसील हुजूर
जिला रीवा , मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामनरेश मिश्रा)
(अनावेदक–2 के वारिसान के अभिभाषक श्री राघवेन्द्र मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनॉक 10 – 8 –2018 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का0 सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 36–चार/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6–1–13 पर से म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 क धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने मोहल्ला उपरहटी स्थित प्लाट कमांक 4441/1.11/3/7 डि. में बने मंदिर का आंगन एंव पुजारी के कोठे आदि बने हैं। आवेदक ने तहसीलदार नजूल तहसील हुजूर को आवेदन देकर बताया कि प्रथम अतिरिक्त जिला जज रीवा के यहां मामला कमांक 2 ए 70 चला था जिसमें अनावेदक ने वादी का हक स्वीकार कर राजीनामा पेश किया है इसलिये इस भूमि को आवेदक के नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार नजूल तहसील हुजूर ने प्रकरण कमांक 138 अ–6/87–88 में पारित आदेश दिनांक 10–8–1988 से उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार नजूल तहसील हुजूर के इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक–2 ने आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को तदाशय की शिकायत की, जिस पर से आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 116/2006–07 स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 15–12–08 से तहसीलदार नजूल तहसील हुजूर का आदेश दिनांक 10–8–1988 निरस्त कर दिया तथा भूमि मंदिर पेटे की होने से पुनः मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश देते हुये कलेक्टर रीवा को राजीनामा दिनांक 19–2–72 की सत्यता एंव आवेदक के आवेदन दिनांक 24–5–88 में चाहे गये नामानतरण अथवा कब्जा प्रविष्टि की जांच के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की। तत्का0 सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 36–चार/ 2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6–1–13 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित आधारों पर एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने से परिलक्षित है कि आवेदक के अभिभाषक ने पुनरावलोकन में अंकित आधारों पर जोर देते हुये बताया है कि स्वमेव निगरानी हेतु केवल एक वर्ष तक की समयावधि है जबकि आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक

116/2006—07 स्वमेव अत्याधिक विलम्ब से दर्ज कर सुनवाई की है। प्रकरण की परिस्थिति पर विचार करते हुये अनावेदक की ओर से आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 116/2006—07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15—12—08 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह आपत्ति आवेदक को आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष उठाना थी अथवा तत्का0 सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 36—चार/2009 निगरानी में सुनवाई के समय उठाना चाहिये थी , जिस आपत्ति को आयुक्त के समक्ष अथवा राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण में सुनवाई के समय नहीं उठाया गया ऐसी आपत्ति को पुनरावलोकन का आधार नहीं माना जा सकता। अनावेदकगण व्दारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के **Case No. W.P. 20493/2016** दायर किया है जिसमें पारित आदेश दिनांक 7—11—17 के अनुसार वादित संपत्ति के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रचलित होने से मान. व्यवहार न्यायालय से अंतिम आदेश होने पर एंव व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी एंव पालनीय होने से विचाराधीन पुनरावलोकन में आगे विचार का औचित्य नहीं रह गया है जिसके आधार पर पुनरावलोकन आवेदन विचार योग्य नहीं रहा है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन सारहीन होने से अमान्य किया जाता है । फलस्वरूप तत्का0 सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 36—चार/2009 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6—1—13 माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश होने तक यथावत् रहता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर